

अनुबंध II का परिशिष्ट

शून्य प्रतिशत के जोखिम भार की प्रयोज्यता के लिए सीजीटीएमएसई, सीआरजीएफटीएलआईएच और एनसीजीटीसी द्वारा शुरू की गई किसी भी मौजूदा या भविष्य की योजनाओं के तहत गारंटीकृत जोखिमों के संबंध में पूरी की जाने वाली शर्तें

i. **विवेकपूर्ण पहलू:** संबंधित योजनाओं के अंतर्गत प्रदान की गई गारंटियां, [01 अप्रैल 2025 के मास्टर परिपत्र – बासल III पूंजी विनियमावली](#), समय-समय पर यथा संशोधित, के अनुसार ऋण जोखिम न्यूनीकरण की अपेक्षाओं का अनुपालन करना चाहिए। अन्य आवश्यकताओं के अलावा, ऐसी गारंटियां प्रत्यक्ष, स्पष्ट, अपरिवर्तनीय और शर्त रहित होनी चाहिए।

ii. **अनुमेय दावों पर प्रतिबन्ध:** जहां गारंटी योजनाओं की शर्तें गारंटी कवरेज की विनिर्दिष्ट सीमा, सदस्य ऋण दात्री संस्थाओं (एमएलआई) द्वारा प्रथम हानि अवशोषण संबंधी खंड, भुगतान सीमा आदि जैसी विशेषताओं के माध्यम से अधिकतम अनुमेय दावों को प्रतिबंधित करती हैं, शून्य प्रतिशत जोखिम भार अधिकतम अनुमेय दावे तक सीमित होगा और अवशिष्ट एक्सपोजर को मौजूदा विनियमों के अनुसार प्रतिपक्ष पर लागू जोखिम भार के अधीन किया जाएगा।

iii. 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी पोर्टफोलियो-स्तरीय गारंटी के मामले में, एमएलआई द्वारा पहले नुकसान के अवशोषण, यदि कुछ है तो, के अधीन एक्सपोजर की सीमा पूर्ण पूंजी कटौती के अधीन होगी और अवशिष्ट एक्सपोजर, आनुपातिक आधार पर, विद्यमान विनियमों के अनुसार प्रतिपक्ष पर लागू जोखिम भार के अधीन होगा। अधिकतम पूंजीगत प्रभार की सीमा पूरे एक्सपोजर को अगारंटीकृत मानते हुए तय किए गए अनुमानित स्तर पर तय की जाएगी।

उपर्युक्त निर्देशों के अधीन, शून्य प्रतिशत जोखिम भार के लिए पात्र होने के लिए, 7 सितंबर 2022 के बाद उपर्युक्त न्यास निधियों में से किसी के भी तहत शुरू की गई कोई भी योजना पंजीकरण की तारीख से तीस दिनों के भीतर पात्र गारंटीकृत दावों के निपटान की व्यवस्था करेगी और चूक की तारीख से साठ दिनों के भीतर पंजीकरण की अनुमति दी जाएगी।

उपर्युक्त विनियामक शर्त सभी बैंकों पर उस सीमा तक लागू होगी जहां तक वे संबंधित योजनाओं के तहत पात्र एमएलआई के रूप में मान्यता प्राप्त हैं।

विशिष्ट मौजूदा योजनाओं के तहत गारंटीकृत दावों पर लागू जोखिम भार के कुछ व्याख्यात्मक उदाहरण नीचे दिए गए हैं:

उदाहरण - उन क्रेडिट सुविधाओं पर लागू जोखिम भार (आरडब्ल्यू) जो विशिष्ट मौजूदा योजनाओं के तहत सुनिश्चित की गई हैं

(गारंटी कवरेज, पहली हानि का प्रतिशत और भुगतान कैप अनुपात को निम्नानुसार और संबंधित योजनाओं में यथासमय संशोधित किया जा सकता है)

योजना का नाम	गारंटी कवर	जोखिम भार
1. फ़ैक्टरिंग के लिए क्रेडिट गारंटी निधि योजना (सीजीएफ़एसएफ़)	चूक की राशि के 10% का पहला नुकसान फेक्टर द्वारा वहन किया जाना चाहिए। चूक की राशि का शेष 90% (यानी दूसरा नुकसान) क्रमशः 2: 1 के अनुपात में एनसीजीटीसी और फैक्टर्स द्वारा वहन किया जाएगा।	- चूक में 10% राशि का पहला नुकसान – पूर्ण पूंजी कटौती - चूक में 60% राशि का वहन एनसीजीटीसी द्वारा किया जाता है - 0% आरडब्ल्यू - चूक में 30% शेष राशि प्रतिपक्षकार/विनियामकीय खुदरा पोर्टफोलियो (आरआरपी) आरडब्ल्यू यथा लागू नोट : अधिकतम पूंजीगत प्रभार की सीमा पूरे एक्सपोज़र को अगारंटीकृत मानकर तय किए गए अनुमानित स्तर पर तय की जाएगी।
2. कौशल विकास के लिए क्रेडिट गारंटी निधि योजना (सीजीएफ़एसडी)	चूक की राशि का 75% गारंटीकृत दावों का 100% भुगतान ट्रस्ट द्वारा तब किया जाएगा जब वसूली के सभी रास्ते समाप्त हो जाएंगे और चूक की राशि की वसूली की कोई गुंजाइश नहीं होगी।	चूक में पूर्ण राशि - प्रतिपक्षकार/विनियामकीय खुदरा पोर्टफोलियो (आरआरपी) आरडब्ल्यू यथा लागू।
3. सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ़एमयू)	<u>सूक्ष्म ऋण</u> पहली हानी चूक में राशि के 3% की सीमा तक है। शेष राशि में से, गारंटी क्रिस्टलीकृत पोर्टफोलियो में चूक की राशि का अधिकतम 75% तक होगी।	- चूक में 3% राशि की पहली हानि - पूर्ण पूंजी कटौती - चूक में राशि का 72.75% - 0% आरडब्ल्यू ((15%*सीपी)-सी)*[एसएलए/सीपी] अधिकतम के अधीन है - जहाँ- o सीपी = क्रिस्टलीकृत पोर्टफोलियो (संस्वीकृत राशि)

योजना का नाम	गारंटी कवर	जोखिम भार
		○ सी = क्रिस्टलीकृत पोर्टफोलियो में पूर्व वर्षों में प्राप्त दावा, यदि कोई हो ○ एसएलए = क्रिस्टलीकृत पोर्टफोलियो में प्रत्येक खाते की स्वीकृत सीमा ○ 15 प्रतिशत भुगतान की उच्चतर सीमा को दर्शाता है ● शेष राशि में चूक - प्रतिपक्षकार/ आरआरपी आरडब्ल्यू के अनुसार। नोट: अधिकतम पूंजी शुल्क एक सांकेतिक स्तर पर सीमित किया जाएगा जो कि पूरी एक्सपोजर को अगारंटीकृत मानकर निर्धारित किया गया है।
4. सीजीटीएमएसई सूक्ष्म-उद्योगों के लिए गारंटीकृत कवरेज	<u>₹5 लाख तक</u> ऋण में चूक की गई राशि का 85% अधिकतम ₹4.25 लाख तक <u>₹5 लाख से ऊपर और ₹50 लाख तक</u> ऋण में चूक की गई राशि का 75% अधिकतम ₹37.50 लाख तक <u>₹50 लाख से ऊपर और ₹200 लाख तक</u> चूक में राशि का 75% अधिकतम ₹150 लाख के अधीन	● चूक में गारंटीकृत राशि - 0% आरडब्ल्यू * ● चूक में शेष राशि - प्रतिपक्षकार /आरआरपी आरडब्ल्यू जैसा लागू हो।
* सीजीटीएमएसई की भुगतान की उच्चतर सीमा के प्रावधानों के संदर्भ में, सदस्य ऋणदाता संस्थाओं के दावों का निपटारा पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान जमा किए गए शुल्क सहित 2 गुना की सीमा तक किया जाएगा। हालांकि, चूंकि शेष दावे अगले वर्ष में निपटाए जाएंगे जब स्थिति को सुधार लिया जाएगा, पूरे गारंटीकृत हिस्से को शून्य प्रतिशत जोखिम भार समनुदेश किया जा सकता है।		